

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल तज कमलेश कच्छवाह बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बावडी) सू.अ. अपील संख्या 50/2024	न. न. तारीख अहकाम जी इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
28/05/2024	<p>अपीलार्थी कमलेश कच्छवाह निवासी नयापुरा, चौखा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2024 में 01 जनवरी 2022 से आज दिनांक 31.12.2023 तक कार्यालय के इनवर्ड व आउटवर्ड रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं अन्य बिन्दुओं पर सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बावडी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बावडी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बावडी) ने जरिये पत्रांक 806 दिनांक 16.05.2024 द्वारा बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही सूचना के लिए किये गये आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क या पोस्टल ऑर्डर जमा नहीं करवाये जाने तथा आवेदन पत्र के पैरा सं. 4 के अंतर्गत किसी प्रकार का फीस के संदाय का सबूत संलग्न नहीं किये जाने से उनका आवेदन खारिज किया गया तथा आवेदन खारिज की सूचना प्रार्थी को जरिये पत्रांक 233 दिनांक 09.02.2024 से अवगत कराया गया।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के आवेदन को खारिज करने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण</p>	

